न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
35/2025	FSS ACT	09.09.2025	28.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1 योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बसंल, उम्र 41 वर्ष जाति वैश्य मालिक बालाजी घी भंडार, लाल बाजार धौलपुर, निवासी प्लॉट नं 184, वाटर वर्क्स चौराहे पासे, मित्तल कॉलोनी धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 ,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 10.03.2025 को दोपहर 01:30 पीएम बजे मैसर्सः– बालाजी घी भण्डार, लाल बाजार धौलपुर पर मौके पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बसंल, उम्र 41 वर्ष जाति वैश्य मालिक बालाजी घी भंडार, लाल बाजार धौलपुर, निवासी प्लॉट नं 184, वाटर वर्क्स चौराहे पासे, मित्तल कॉलोनी धौलपुर बताया एवं लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 100 किलो घी रखा हुआ था जो कि आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस घी में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त घी का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त 100 किलो घी में से 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बसंल को रू. 400/– (चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर बोतलों में डालकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3377 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3377 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बसंल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/61 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/193/एक्ट/2025/213 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा नमूना अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया तत्पश्चात खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच बावत आवेदक के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच बावत रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र सर्टिफिकेट संख्या 588एफ/एफएसएसए/2025 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया जा कि आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध घी के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार व अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./193/Act/2025/213 DATE 21-03-2025** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"Opinion- The sample of **'Ghee'** bearing code & serial No. **D-3377** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Substandard** as it does not conform to the prescribed standards of food Safety and Standards (Food product standard and food aditives) Act, 2006

एवं पत्रावली में संलग्न **Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore** का Certificate No: **588F/FSSA/2025** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—**Opinion:** And I am the opinion that the sample **"Substandard"** as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for **Ghee** under the provisions of Food Safety and Standards (Food Product standards and Food Additives) Regulations, 2011 and Food safety & Standard (prohibitions & Restriction on sales) Regulation 2011 thereof, in that:

a) B.R.R at 40°C exceeds the maximum permissible Total ash content exceeds the maximum permissible limit
b) Lodine value exceeds the maximum permissible limit and
c) Presence of fat/Oil (vegetable Oil) which is not derived from Milk which Violates the section 2.1.1(3) and 2.3.7 of the Food Safety & Standard (prohibitions & Restriction on sales) Regulation 2011

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड घी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (II) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड घी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बंसल, उम्र 41 वर्ष जाति वैश्य मालिक बालाजी घी भंडार, लाल बाजार धौलपुर, निवासी प्लॉट नं 184, वाटर वर्क्स चौराहे पासे, मित्तल कॉलोनी धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 65000/–रुपये (पैंसठ हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner